सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

साप्ताहिक

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
(वार्षिक शुल्क : ₹ 350)

खण्ड 37 अंक 45 पृष्ठ 40 | नई दिल्ली 9 -15 फरवरी 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

बैंक

● भारतीय स्टेट बैंक को 1500 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की आवश्यकता. ऑन लाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 23.02.2013

आयुध फैक्टरी

● आयुध फैक्टरी, खमरिया, जबलपुर द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान संबधी समूह 'ग' के 691 पदों पर भर्ती.
अंतिम तिथिः विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन बाद पड़ने वाली तारीख.

लोकनायक अस्पताल

● लोकनायक अस्पताल नई दिल्ली द्वारा स्टाफ नर्सों और समूह 'ग' पैरा मैडिकल स्टाफ के 418 पदों पर भर्ती.
अंतिम तिथिः 18.02.2013

एनआईटी

● नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नागपुर को 98 सहायक इंजीनियर क्लास -2, कनिष्ठ इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी सहायक और कनिष्ठ लिपिक टंककों की आवश्यकता.
अंतिम तिथिः 08.03.2013

संघ लोक सेवा आयोग

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित.
अंतिम तिथिः 28.02.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

जम्मू-कश्मीर पर एक नजर

जम्मू-कश्मीर के लिए रोज़गार कार्यनीति

[निम्नांकित लेख प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की गई डॉक्टर सी. रंगराजन समिति की रिपोर्ट के बारे में है. समिति की स्थापना जम्मू कश्मीर में, विशेषकर राज्य के युवाओं के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में रोज़गार प्रदान करने की योजना बनाने के लिए की गई थी.]

पिछले दशक के दौरान देश में उच्च आर्थिक विकास से शिक्षित युवाओं के लिए बड़े शहरों और दूसरे दर्जे के शहरों में रोज़गार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं. भविष्य को देखते हुए अर्थव्यवस्था के 8-10 क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें प्रशिक्षित युवाओं की भारी मांग है. इनमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र प्रमुख हैं. देश के प्रशिक्षित युवाओं के लिए इन क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं. जम्मू कश्मीर राज्य में भी तीव्र आर्थिक विकास हुआ है. किंतु यह विकास राज्य की आबादी, विशेषकर युवाओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाया है.

इस समस्या के व्यापक आयामों का निर्धारण करने के लिए यह जरूरी है कि रोज़गार में लगे और बेरोज़गार लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाया जाए. यह अनुमान लगाने के लिए दो प्रमुख स्रोत हैं – राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) और राज्य में स्थित जिला रोज़गार एवं परामर्श केंद्र (डीईसीसी). एनएसएसओ के अनुसार जम्मू कश्मीर में कार्य सक्षम लोगों की संख्या 1999-00 में 40.1 लाख थी जो 2004-05 में बढ़कर 43.7 लाख पर पहुंच गई. दूसरी तरफ इसी अवधि में कार्मिकों की संख्या 39.4 लाख से बढ़ कर 42.7 लाख पर पहुंच गई, जो कार्य सक्षम लोगों की संख्या से मामूली कम थी. 2004-05 में राज्य में करीब 1 लाख बेरोज़गार व्यक्ति थे और 2007-08 में यह संख्या बढ़ कर 1.30 लाख पर पहुंच गई किंतु डीईसीसी आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2009 में बेरोज़गारों की संख्या 44.8 लाख और मार्च 2010 में 58.9 लाख पर पहुंच गई. दोनों समूहों के आंकड़ों में यह अंतर धारणात्मक और पद्धति विषयक है. ऐसे में यह उपयोगी होगा कि बेरोज़गारों की संख्या संबंधी एनएसएसओ के अनुमानों को आधार समझा जाए और उसे ध्यान में रख कर सृजित किए जाने वाले रोज़गार के अवसरों के बारे में नीति तय की जाए तथा रोज़गार चाहने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के लिए डीईसीसी के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए.

जम्मू कश्मीर राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ाने और सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों को शामिल करते हुए रोज़गार की योजना तैयार करने, विशेषकर युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के वास्ते प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया. इस समूह की रिपोर्ट में रोज़गार के अवसर पैदा करने के बारे में दोतरफा कार्यनीति अपनाने का सुझाव दिया गया हैः (क) विकास और रोज़गार सृजन के लिए क्षेत्रगत उपायों की पहचान करना और **जम्मू कश्मीर के लिए विशेष औद्योगिक उपाय करना (एसआईआई-जेएंडके)**. (ख) शिक्षा के अवसरों तक पहुंच में सुधार के जरिए कौशल में सुधार लाते हुए युवाओं की रोज़गार सक्षमता में वृद्धि करना तथा रोज़गार उन्मुखी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना यानी जम्मू कश्मीर के लिए **कौशल सशक्तिकरण और रोज़गार के उपाय (एसईई-जेएंडके)**. इनमें से परवर्ती कार्यनीति यानी युवाओं के कौशल में सुधार और रोज़गार के अवसर पैदा करने के मामले में विशेषज्ञ समूह ने अनेक उपाय सुझाए हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर के लिए कौशल सशक्तिकरण और रोज़गार के उपाय (एसईई-जेएंडके) एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है.

क्षेत्रगत उपाय

(i) कृषि और पशुपालनः कृषि में ध्यान केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई के लिए सूक्ष्म परियोजनाएं, मृदा परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन, कृषि स्नातकों को कृषि विस्तार प्रयासों में संलग्न करना और बासमती चावल के लिए एक मिशन शुरू करना जैसे उपाय शामिल हैं. श्रम बहुल क्षेत्र, पशुपालन के मामले में इस क्षेत्र की विकास की क्षमता में वृद्धि के लिए पोल्ट्री/डेरी क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन के लिए परिष्कृत कृषि वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने जैसे उपायों पर बल दिया गया है. इन कार्यों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अतर्गत विशेष आवंटन करने का सुझाव दिया गया.

(ii) अत्यधिक श्रम बहुल क्षेत्र यानी पशुधन क्षेत्र में निर्धन वर्गों की जरूरतें पूरी करने और बड़ी संख्या में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित श्रमिकों को आमेलित करने की क्षमता है. इसलिए यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. उत्पादकता में बढ़ोतरी को देखते हुए इस क्षेत्र में कृषि आय बढ़ाने और पोल्ट्री क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने की क्षमता है.

(iii) बागवानीः बागवानी क्षेत्र का जम्मू कश्मीर के निवल बुआई क्षेत्र में केवल 13 प्रतिशत योगदान है लेकिन राज्य के सकल कृषि घरेलू उत्पाद में यह क्षेत्र 45 प्रतिशत योगदान करता है. पोषण सुरक्षा, भूमि उत्पादकता, रोज़गार, निर्यात और कृषि आय में योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है. इस क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण उपायों में फलों की खेती के पुनरुत्थान/पुनः आयोजना में निवेश, जैव प्रौद्योगिकी का अभिनव इस्तेमाल, खाद्य प्रसंस्करण और अत्याधुनिक मंडियों के नेटवर्क या आधुनिक बाजारों की स्थापना सहित फसल परवर्ती बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश शामिल हैं.

(iv) पर्यटनः प्रशिक्षित लोगों के लिए रोज़गार की संभावनाओं और हस्तशिल्प, हथकरघा और परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए अनुपूरक भूमिका अदा करने की दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र जम्मू कश्मीर के विकास और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

इस क्षेत्र में रोज़गार की व्यापक संभावनाएं हैं अतः इसके लिए परिष्कृत संचार व्यवस्था, पर्यटक सर्किटों के विकास, लद्दाख में सुरक्षा प्रतिबंधों की व्यापक समीक्षा, आवभगत और साहसिक पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मोड में समेकित ऑनलाइन पर्यटन पोर्टल की स्थापना जैसे उपाय अपेक्षित हैं.

(v) हस्तशिल्पः जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. इस क्षेत्र में 4-5 लाख कारीगरों और 179 प्रमुख शिल्प समूहों को रोज़गार प्रदान करने तथा 1000/- करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने की क्षमता है. इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित उपायों में लघु गलीचा उत्पादन केंद्रों की स्थापना, कशीदाकारी और शिल्पों के लिए एक उद्यम विकसित करना, एक स्पष्ट ''कश्मीर'' ब्रैंड छवि और डिजाइन का निर्माण और अनुकरणीय मानदंड लागू करना शामिल है.

(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई): राज्य में इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्त व्यवस्था तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. इसके लिए जम्मू कश्मीर वित्त निगम (जेकेएसएफसी) का पुनर्गठन करने, केंद्रीय रोज़गार कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का क्षेत्र बढ़ाने और सरकारी खरीद में इन उद्यमों के सामान को वरीयता देने जैसे उपाय करने होंगे.

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं/बीपीओः इस क्षेत्र में सफलता हेतु दीर्घावधि नीति बनाने के लिए शांति, संचार सुविधाओं, सशक्त आवभगत क्षेत्र और प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता है. ''शीघ्र सफलता'' के लिए एक तात्कालिक कार्यनीति यह हो सकती है कि सभी जिलों को वरीयता के आधार पर जोड़ा जाये, एक सक्रिय एसडब्ल्यूएएन (स्वान)

(शेष पृष्ठ 40 पर)

जानिए अपना बजट

कराधान-धारणाएं और प्रवृत्तियां

—पूजा रंगप्रसाद

देश की रक्षा और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आर्थिक विकास और शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तक सरकार को विविध प्रकार के कार्यों को अंजाम देना होता है. स्पष्ट है कि इन सभी सेवाओं के विपणन के लिए सरकार को समुचित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है. सरकार देश के संसाधनों मुख्य रूप से करो, शुल्कों/सेवा प्रभारों और ऋणों के जरिए अपेक्षित धन जुटाती है.

कर राजस्व और गैर कर राजस्वः

सरकारी राजस्व को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः कर राजस्व और गैर कर राजस्व।

कर राजस्वः – कर से अभिप्राय है सरकार द्वारा कानून लागू करके प्राप्त किए गए भुगतानों के जरिए धन एकत्र करना.

गैर कर राजस्वः– गैर कर राजस्व ऐसा धन है जो सरकार करों के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त करती है, जैसे शुल्कों/इस्तेमालकर्ता प्रभारों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का लाभांश और मुनाफा, ब्याज प्राप्तियां, दंड और जुर्माना आदि.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करः ऐसे कर जिनका बोझ स्थानांतरित या टाला न जा सके, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं. इसका अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का प्रत्यक्ष कर सरकार को अदा करता है, वह उस कर विशेष का बोझ वहन करता है. इसके उदाहरणों में कार्पोरेशन कर, व्यक्तिगत आय कर और सम्पदा कर शामिल हैं.

अप्रत्यक्ष करः ऐसे कर जिनमें कर का बोझ स्थानांतरित किया जा सके या टाला जा सके, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं. इसका अर्थ है कोई व्यक्ति जो सरकार को सीधे ऐसे कर का भुगतान करता है, जिसका बोझ उसे स्वयं वहन न करना पड़े और वह अंततः कर-बोझ को वस्तु/सेवाओं के व्यापारिक कारोबार के जरिए अन्य व्यक्तियों पर स्थानांतरित करता है. अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और मूल्य संवर्धित कर (वैट) शामिल हैं. किसी वस्तु या सेवा पर अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव अमीर और गरीब पर समान रूप से पड़ता है. अप्रत्यक्ष करों से भिन्न प्रत्यक्ष करों (यानी कार्पोरेशन टैक्स, व्यक्तिगत आय कर, सम्पदा कर आदि) का संबंध कर दाता की भुगतान क्षमता के साथ होता है अतः ऐसे करों को प्रगतिशील माना जाता है.

कार्पोरेशन टैक्सः यह कर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कंपनियों की आय पर लगाया जाता है.

आयकरः यह कर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यक्तियों, कंपनियों से इतर प्रतिष्ठानों आदि पर लगाया जाता है. इस मद के अंतर्गत अन्य कर भी शामिल हैं, जैसे मुख्य रूप से 'प्रतिभूति लेनदेन कर', जो शेयर बाजारों से खरीदी गई सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन-देन और म्युचुअल फंड्स की यूनिटों की खरीद पर लगाया जाता है.

सम्पदा करः यह ऐसा कर है जो कुछ व्यक्तियों, जिनमें व्यक्ति और कंपनियां दोनों शामिल हैं, की निर्दिष्ट आस्तियों पर सम्पदा कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत लगाया जाता है.

सीमा शुल्कः यह शुल्क देश में आयात की गई वस्तुओं और देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है.

उत्पाद शुल्कः यह एक प्रकार का कर है जो उन वस्तुओं पर लगता है जिनका विनिर्माण देश में उपभोग के लिए किया जाता है.

बिक्री करः यह कर उत्पादित/आयातित और पहली बार बेची जाने वाली किसी वस्तु की बिक्री पर लगाया जाता है.

सेवा करः यह कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगता है और इसकी वसूली का दायित्व सेवा प्रदाता का होता है।

मूल्य संवर्धित कर (वैट): वैट एक बहु आयामी कर है, जो वस्तुओं की बिक्री के ऐसे प्रत्येक चरण पर लगता है जिसमें कच्चे माल के मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हुई हो; लेकिन कर दाता को पूर्ववर्ती चरणों में कच्चे माल पर पहले से अदा किए गए कर के लिए क्रेडिट प्राप्त होता है.

केंद्र और राज्यों के बीच कराधान के अधिकारों का बंटवारा भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के दायित्वों और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है.

(शेष पृष्ठ 40 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू 1/4100/2012-14 यू. (सी.)-107/2012-14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 09/11.02.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 07.02.2013

जम्मू-कश्मीर के लिए ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

नेटवर्क कायम किया जाये. निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के संदर्भ में बुनियादी ढांचा तैयार करने जैसे उपाय अपेक्षित हैं.

कौशल विकास और प्रत्यक्ष रोज़गार

भारत के विकास पथ ने शिक्षित मध्यवर्गीय कौशल का इस्तेमाल किया है, ताकि आईटी और सॉफ्टवेयर से लेकर एयरलाइन्स, बैंकिंग, होटलों और दूरसंचार तक सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके. जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के लंबे दौर और अशांत राजनीतिक वातावरण के कारण राज्य में युवाओं के कौशल के आधार को क्षति पहुंची है. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश के अभाव के कारण कौशल में अंतराल की यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. निजी क्षेत्र की भागीदारी कौशल अर्जित करने में अक्सर एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध होती है.

जम्मू कश्मीर के लिए कौशल सशक्तिकरण और रोज़गार (एसईई जेएंडके):

एसईई जेएंडके स्कीम का संबंध प्लेसमेंट यानी रोज़गार के साथ है. इसका अर्थ है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन. ग्रामीण विकास मंत्रालय, जम्मू कश्मीर में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रम, जो फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और जिसे इस कार्यक्रम का आधार बनाया गया है, केवल ग्रामीण बीपीएल (गरीबी की रेखा से नीचे) युवाओं तक सीमित है. जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में लागू किया जाएगा और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा बीपीएल और गैर बीपीएल श्रेणी के सभी युवाओं को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगले पांच वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में एक लाख युवाओं को कवर किया जाएगा और इसे निजी क्षेत्र और मुनाफा न कमाने वाले संगठनों के अंतर्गत सक्षम प्रशिक्षण प्रदाताओं के जरिए लागू किया जाएगा. इस कार्यक्रम के अंतर्गत वेतन आधारित रोज़गार और स्वरोज़गार में लगे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. अनुमान है कि 70 प्रतिशत धन वेतन आधारित प्रशिक्षण और शेष 30 प्रतिशत धन स्वरोज़गार आधारित प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. रोज़गार आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 75 प्रतिशत रोज़गार की गारंटी देनी होगी. युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर जम्मू कश्मीर और उससे बाहर समूचे देश में प्रदान किए जाएंगे. एसईई जेएंडके स्कीम के अंतर्गत युवाओं के विविध समूहों जैसे स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों, 12वीं कक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों और कालेज शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण कार्य नीतियां अपनाई जाएंगी.

जेएंडके स्कीम में ठोस नीति अपनाते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं को असंगठित क्षेत्र से संगठित श्रम बाजार में लाने और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे. मार्च 2012 तक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष को प्रयोग के वर्ष के रूप में समझा गया.

विशेष उद्योग उपाय (एसआईआई-जेएंडके)

जम्मू कश्मीर में ऐसे युवाओं का एक प्रतिभा-पूल मौजूद है जो सुशिक्षित है लेकिन सॉफ्ट कौशल या व्यावहारिक/स्वयं करके प्रशिक्षण प्राप्त करने के अभाव के कारण वे रोज़गार प्राप्त करने में अक्षम रहे हैं. इन युवाओं को रोज़गार प्रदान करने की दिशा में एक उपाय यह हो सकता हैं कि उद्योग क्षेत्र में, 10-20 कंपनियों की पहचान की जाए जो किसी शैक्षिक संस्थान की भागीदार बने और पांच वर्ष की अवधि में हर वर्ष 8000 युवाओं की रोज़गार सक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करें. इससे विभिन्न क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के 40,000 युवाओं की रोज़गार सक्षमता बढ़ाई जा सकेगी. इस कार्यक्रम को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा सकता है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी हो. कंपनियां उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करेंगी और प्रशिक्षण अवधि का निर्धारण क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार किया जाएगा. कश्मीरी युवाओं के स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समानांतर कवायद शुरू की जाएगी. इस कार्यक्रम में भागीदार बनने की सहमति देने वाली स्थानीय संस्थाओं में कश्मीर युनिवर्सिटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी इस्लामी युनिवर्सिटी शामिल हैं. इसके लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम इन्फोसिस टेक्नोलोजीज़ द्वारा विशेषज्ञ समूह को सौंपा गया जिसमें आईआईआईटी बंगलौर के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था है ताकि जम्मू कश्मीर में विज्ञान और इंजीनियरी स्नातकों की रोज़गार सक्षमता बढ़ाई जा सके और उन्हें ''सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए तैयार'' किया जा सके और इस तरह आईटी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान करते हुए उन्हें ''रोज़गार सक्षम'' बनाया जा सके. शिक्षा के अवसरों तक युवाओं की पहुंच में बढ़ोतरी करने के लिए विशेषज्ञ समूह ने चार उपाय सुझाए हैं. इनमें पहला उपाय जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्कॉलरशिप (एसएसएस जेएंडके), दूसरा संकाय विकास कार्यक्रम और तीसरा दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित कार्यक्रम और चौथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है.

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना (एसएसएस-जेएंडके)

(i) सरकार को जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में अवश्य बढ़ोतरी करनी होगी लेकिन अल्पावधि के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है कि वे देश के अन्य विश्वविद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाएं. प्रोत्साहित करने का एक बेहतर तरीका यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना (एसएसएस-जेएंडके) के जरिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए. स्कॉलरशिप से एक तरफ युवाओं को अपनी शैक्षिक क्षमता का अनुकूलतम इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी और उन्हें उत्पादक गतिविधियों में लगाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के युवाओं को देश के अन्य भागों के अपने साथियों के साथ परस्पर संवाद और मैत्री बढ़ाने का अवसर मिलेगा. स्कॉलरशिप योजना मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त होगी और यह सभी सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों, इंजीनियरी संस्थानों, मेडिकल कालेजों और सरकार द्वारा विषयपरक मानदंड के आधार पर चुने हुए निजी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी. सामान्य चयन प्रक्रिया के जरिए इन संस्थानों में दाखिला पाने वाले जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते उनके माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख से अधिक न हो. विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि हर वर्ष 5000 स्कॉलरशिप प्रदान की जा सकती हैं. कुल छात्रवृत्तियों में से 4500 स्कॉलरशिप (90 प्रतिशत) सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों, 250 इंजीनियरी (5 प्रतिशत) और 250 मेडिकल अध्ययन (5 प्रतिशत) के लिए निर्धारित की जा सकती हैं. इससे 25,000 विद्यार्थियों को फायदा होगा.

(ii) जम्मू कश्मीर में शैक्षिक स्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षक संकायों का कौशल बढ़ाया जाए। इसका एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि शिक्षाविदों को उद्योग जगत के साथ वार्तालाप करना चाहिए ताकि भर्ती के स्तर पर विद्यार्थियों के अपेक्षित कौशल के बारे में उनकी अकांक्षाओं का पता लगाया जा सके. इस सिलसिले में एक दिलचस्प उदाहरण इन्फोसिस डेवेलपमेंट सेंटरों द्वारा संचालित फैकल्टी इन्हांसमेंट प्रोग्राम (एफईपी) यानी शिक्षक बढ़ोतरी कार्यक्रम है. इसके अंतर्गत इंजीनियरी संस्थानों से 4900 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है. एक अन्य पहल रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) द्वारा की गई है जिसमें आईटीआई संस्थानों में 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. सरकार को जम्मू कश्मीर में इन कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए.

(iii) अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय ने एक सुझाव दिया है कि प्राइवेट स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि वे जम्मू कश्मीर से बच्चों को दाखिला दें. इसके अंतर्गत (क) स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को एकजुट किया जा सकता है कि वे इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त करें और (ख) दिल्ली पब्लिक स्कूल और ऐसे 150 अन्य स्कूलों को इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि वे अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए अपेक्षित सीटें आरक्षित करें.

(iv) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी इग्नू की जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर उपस्थिति है और इस विश्वविद्यालय ने ऐसे स्थानों पर विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने में मदद पहुंचाई है, जो गड़बड़ियों के कारण सबसे अधिक दुष्प्रभावित रहे हैं. इग्नू इस बात पर सहमत हो गया है कि वह जम्मू कश्मीर में विद्यार्थियों की भर्ती के वास्ते परस्पर संपर्क का एक मंच उपलब्ध कराएगा. विश्वविद्यालय द्वारा श्रीनगर और जम्मू में क्षेत्रीय प्लेसमेंट सेल (आरपीसी) स्थापित किए जाएंगे जो संभावित नियोक्ताओं को एक मंच प्रदान करेंगे, जिससे वे जम्मू, श्रीनगर और लेह क्षेत्रों के रोज़गार चाहने वाले युवाओं के साथ संपर्क कर सकेंगे. इसके लिए वास्तविक जॉब (रोज़गार) पोर्टल, रोज़गार मेले, भर्ती अभियान और सीधे साक्षात्कार, व्यवसाय संबंधी विशेष परामर्श एवं मार्गदर्शन, रोज़गार चाहने वाले सभी लोगों की क्षमता का मापन, कौशल अंतरालों की पहचान और व्यवसाय संभावना के लिए युवाओं के मौजूदा कौशल का मूल्यांकन और प्रमाणन और परवर्ती व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान देने जैसे उपाय शामिल हैं. क्षेत्रीय प्लेसमेंट सेल (आरपीसी) में स्थानीय शिक्षण संस्थानों, इग्नू केंद्रों, उद्योग प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों में से सदस्य शामिल होंगे. ये सेल जम्मू कश्मीर उद्यमशीलता विकास संस्थान और विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मंडलों के साथ भागीदारी करेंगे. इसके अलावा इग्नू जम्मू कश्मीर से युवाओं को आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला देगा, जो फिलहाल पूर्वोत्तर के लिए चलाया जा रहा है.

प्रशिक्षण

(i) प्रशिक्षण की विषयवस्तु: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान उद्योग पद्धतियों के अनुसार युवाओं में रोज़गार सक्षमता पैदा करने के लिए उद्योग से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशिक्षण हेतु उचित विषयवस्तु का चयन किया जा सके. पाठ्यक्रम/सिलेबस की रूपरेखा तैयार करने में इस बात को वरीयता दी जानी चाहिए कि उसे संभावित नियोक्ताओं/उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाए. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण और पाठ्य सामग्री स्थानीय भाषाओं में तैयार की जाए ताकि ऐसे युवा भी उसे बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकें, जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान न हो.

(ii) कौशल प्रशिक्षण: इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित रोज़गार के लिए अपेक्षित कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि प्रारंभिक वेतन न्यूनतम निर्धारित दिहाड़ी से कम न हो. तकनीकी कौशल के अलावा लाभर्थियों को कम्प्यूटर कौशल भी प्रदान करना होगा ताकि वे कृषि पृष्ठभूमि से उद्योग के वातावरण में जाते समय संक्रमणकालीन चुनौतियों का सामना कर सकें.

(iii) प्रशिक्षण भागीदार: ऐसी प्रशिक्षण एजेंसियों और नियोक्ताओं के साथ भागीदारी आमंत्रित की जानी चाहिए, जो प्रशिक्षण संचालित करने की योग्यता और क्षमता रखते हों तथा उद्योग को स्वीकार्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोज़गार प्रदान कर सकें.

(iv) पाठ्यक्रम अवधि: पाठ्यक्रम की अवधि तीन से नौ महीने तक होगी. तीन महीने तक के अल्पावधि पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जाएगी ताकि प्रशिक्षण अवधि के दौरान उत्पादक कार्य से दूर रहने के कारण आने वाली लागत कम से कम आए.

(v) प्रशिक्षार्थियों का प्रमाणन और मूल्यांकन: ऐसी तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रमाणन और मूल्यांकन अनिवार्य है, जो उद्योग या नियोक्ताओं को स्वीकार्य हो.

(vi) प्रशिक्षार्थी आवास: जहां कहीं आवश्यक हो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षार्थियों को रहने और भोजन आदि सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए. इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाया जा सकेगा. अन्य मामलों में प्रशिक्षार्थियों के लिए आने जाने की परिवहन सुविधा और भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए.

(vii) प्रशिक्षार्थियों को एकजुट करना और उनका चयन: उम्मीदवारों का चयन व्यवसाय अथवा रोज़गार की अपेक्षाओं के अनुरूप अभिरुचि रखने वाले, 18 से 35 वर्ष की आयु समूह के उन सभी प्रशिक्षार्थियों में से किया जाएगा, जो जिला रोज़गार एवं परामर्श केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी स्थानीय इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया में समुचित जागरुकता और प्रचार अभियान चलाएगी तथा रोड शो, बैठकों आदि का आयोजन करेगी ताकि कार्यक्रम के बारे में जागरुकता फैलाई जा सके और युवाओं को भर्ती किया जा सके.

(viii) उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन: संभावित प्रशिक्षार्थियों को एक मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा बुनियादी चयन परीक्षणों से गुजरना होगा ताकि उन व्यवसायों में उनकी अभिरुचि और क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके, जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है. इससे रोज़गार से पहले उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने/प्रशिक्षण परवर्ती पलायन पर रोक लगाई जा सकेगी.

(ix) पस्थिति और प्रशिक्षार्थियों की पहचान: उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए बायोमीट्रिक उपकरण संस्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या कार्ड प्रदान किया जाएगा ताकि दोहरी गणना और दोहरेपन से बचा जा सके.

(यह लेख रोज़गार समाचार की संपादकीय टीम द्वारा संकलित है.)

कराधान-धारणाएं...

(पृष्ठ 1 का शेष)

संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच व्यय संबंधी दायित्वों और कराधान के अधिकारों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है.

भारत में करों और शुल्कों को लगाने का अधिकार सरकारों में तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय. यह बंटवारा भारतीय संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

- केंद्र सरकार को आयकर (कृषि आय को छोड़कर, जिस पर राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर लगाने के अधिकार हैं।
- राज्य सरकारों को बिक्री कर (राज्य के भीतर बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर), स्टैम्प शुल्क (संपत्ति के अंतरण पर शुल्क), राज्य आबकारी (शराब के विनिर्माण पर शुल्क), भूमि राजस्व (कृषि/गैर कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि पर कर), मनोरंजन पर शुल्क और व्यवसायों पर कर लगाने के अधिकार हैं.
- स्थानीय निकायों को संपत्ति (भवन आदि), चुंगी (स्थानीय निकायों के क्षेत्रों के भीतर इस्तेमाल/खपत के लिए प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर कर), बाजारों और जलापूर्ति, जलनिकासी आदि सेवाओं के लिए कर/इस्तेमालकर्ता प्रभार लगाने के अधिकार हैं।

राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर की प्रणाली को अब मूल्य संवर्धित कर (वैट) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है. केंद्रीय कर प्रणाली में वसूल किए गए राजस्व का वितरण भारत के संविधान के अनुसार हर पांच वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों की भागीदारी के बारे में सुझाव देता है. यह सुझाव मुख्य रूप से केंद्र सरकार की कर प्रणाली के अंतर्गत एकत्र किए गए राजस्व से सम्बद्ध होते हैं. वर्तमान में सभी केंद्रीय करों - उप करों, प्रभारों और केंद्र शासित प्रदेशों के करों से प्राप्त राशि और केंद्रीय करों की वसूली की लागत के समान राशि को छोड़ कर, - केंद्रीय कर राजस्व पूल को भागीदारी/बंटवारे योग्य समझा जाता है. 13वें वित्त आयोग (2010-11 से 2014-15) की सिफारिश अवधि में केंद्रीय कर राजस्व की हिस्सेदारी/बंटवारे योग्य पूल का 32 प्रतिशत हिस्सा हर वर्ष राज्यों को अंतरित किया जाता है और शेष राशि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट के लिए रखती है.

कर - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का सूचक है. अर्थव्यवस्था में सरकार के निजी हस्तक्षेपों के मूल्यांकन के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड जैसे सरकार द्वारा कुल व्यय, कर राजस्व, घाटा आदि को जीडीपी के अनुपात में दर्शाया जाता है. तदनुरूप हमें किसी देश के कर - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को देखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि यह समझा जा सके कि अर्थव्यवस्था के समग्र आकार की तुलना में सरकार द्वारा कितना कर राजस्व वसूल किया जा रहा है.

भारत का कुल कर - जीडीपी अनुपात
(केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से) (आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	कर-जीडीपी अनुपात	प्रत्यक्ष कर-जीडीपी	अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी
2001-02	13.39	3.11	10.28
2002-03	14.08	3.45	10.63
2003-04	14.59	3.86	10.73
2004-05	15.25	4.23	11.02
2005-06	15.91	4.54	11.37
2006-07	17.15	5.39	11.77
2007-08	17.45	6.39	11.06
2008-09	16.26	5.83	10.43
2009-10	15.50	5.84	9.66
2010-11 (सं. अ)	16.46	5.87	10.60
2011-12 (ब अ)	16.64	5.99	10.65

नोट: सं.अ. - संशोधित अनुमान, ब.अ. - बजट अनुमान; स्रोतः भारतीय सार्वजनिक वित्तीय आंकड़े 2011-12, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. **(श्रृंखला जारी रहेगी)**

(लेखक नीति अनुसंधान और समर्थन संगठन, सेंटर फार बजट एंड गवर्नेंस अकांउटेबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली से सम्बद्ध है.)
e-mail; happy@cbgaindia.org)

रोज़गार समाचार

ईरा जोशी
अतिरिक्त महानिदेशक

अनुराग मिश्रा
निदेशक

डॉ. ममता रानी
संपादक

नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)

इरशाद अली
संपादक (उर्दू)

केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी

सूर्यकांत शर्मा
व्यापार व्यवस्थापक

विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV
तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल : newsedit@gmail.com
ग्राम : 'Rozgar' New Delhi

संपादकीय	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक-डॉ. ममता रानी